कार्यालय कलेक्टर (भू अभिलेख शाखा) उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

/ज्ञापन /

कमांक 336 / कले. / भू अभि / वन अधि.मान्य. / 2014 कांकेर दिनांक 7 / 03 / 2014

प्रति,

वन मंडलाधिकारी

पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल भानुप्रतापपुर

जिला उत्तर बस्तर कांकेर

विषयः—वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र "प्रदर्श— स " में जारी करने बाबत ।

संदर्भः—आपका पत्र कमांक /मा.चि./4104 /भानुप्रतापपुर दिनांक 26—06—2013

—0—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगें । जिसमें पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के परिक्षेत्र दुर्गूकोंदल में मेसर्स नव भारत फ्यूज कम्पनी लिमिटेड के द्वारा आवेदित क्षेत्र आर.एफ.—कक्ष कमांक 615 , 616 , रकबा 220.00 हेक्टेयर में वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा वितरण की जानकारी "प्रदर्श—ब" में ग्राम पंचायत तराई घोटिया द्वारा ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कर जारी किया गया है । "प्रदर्श—ब" के आधार पर "प्रदर्श—स" में प्रमाण पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर सूचनार्थ संप्रेषित है ।

संलग्नः—प्रमाण पत्र "प्रदर्श—स"

Recived

5/3/14

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर

जिला उत्तर बस्तर कांकेर

वनमण्डलाधिकारी

पूर्व भानुप्रतापपुर वन मण्डल

भानुप्रतापपुर

29/3/014

–:प्रमाण पत्र:–

मेसर्स **नव भारत फ्यूज कम्पनी लिमिटेड रायपुर** को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित , वनमंण्डल भानुप्रतापपुर पूर्व में **ग्राम रसोली** के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु **आर0एफ0–615, 616 , रकबा 220.00 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **आर.एफ. 615 , 616 , रकबा 220.00 हे0** एवं/राजस्व वन भूमि.............x.........हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम रसोली तहसील दुर्गूकोंदल** में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।
ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **17/04/2013** (प्रदर्श–"अ") एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–"ब"**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **रसोली** , ग्राम के सरपंच **श्री**/~~श्री मति~~ **छबीलाल उइके** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **17/04/2013** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत से अधिक ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	रसोली	निरंक	निरंक

1. 3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **17/04/2013** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. **17/04/2013** /दिनांक.........x..................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला...
(सील)

दिनांकः–5/3/2014